प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 30.04.2026

सोनभद्र पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा हत्या के प्रकरण में दोषी पाये गये 02 आरोपियों को दी गई सश्रम आजीवन कारावास की सजा-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे **‘#Operation Conviction’** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक अहम सफलता प्राप्त हुई है । प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से हत्या के दण्डनीय अपराध में आरोपी को माननीय न्या0 एएसजे/सीएडब्ल्यू/एफटीसी सोनभद्र द्वारा सश्रम आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: चोपन, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0:- 268/2023

धारा:- 302, 324, 506, 34 भादवि

अभियुक्त:- 01.चीनी लाल पुत्र लक्ष्मण, 02. रेशमी पत्नी चीनी लाल निवासीगण सलखन टोला बैरिहवां थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 302 भादवि की सपठित धारा 34 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि की सपठित धारा 34 के तहत 06-06 माह के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भादवि में 06-06 माह के सश्रम कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-

इस केस में थाना चोपन पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया ।